



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231419
CG-DL-E-27112021-231419

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 601]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/306/15/डीडी/16/16-डीसी/779/18.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684), एफ-16, सिल्वर प्लाजा, नवजीवन मिल कंपाउंड, कलोल 382 721 (गुजरात) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./465/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/306/15/DD/16/16-DC/779/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684), F-16, Silver Plaza , Navjivan Mill Compound, KALOL 382 721(Gujarat)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./465/2021-22]